दिनांक 10.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 16/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मऊ/थाना घोसी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 09/10.10.2024 को थाना घोसी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोफा नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राकेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना घोसी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना घोसी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राकेश निवासी कोड़रा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी

1–लूट के सोने के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मेरठ/थाना कोतवाली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 09.10.2024 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त नदीम उर्फ नन्हे उर्फ शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना लोहियानगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नदीम उर्फ नन्हे उर्फ शाहनवाज निवासी छीपीवाली गली थाना इंचौली जनपद मेरठ।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–2

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 07 लाख 84 हजार 600 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 कार**
- **02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 09/10.10.2024 को थाना बीटा–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पीपलवाला गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रामकिशोर 2–सचिन घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से

लूट के 07 लाख 84 हजार 600 रूपये नगद, चोरी की 01 कार, 02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। तथा अभियुक्त 3–सुमित को ग्राम बिरोंडा के पास से गिरफ्तार किया गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.10.2024 को थाना बीटा–2 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, कार लूट/चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामकिशोर निवासी खरेला थाना खरेला जनपद महोबा, हालपता एसएफ 217 जनता फ्लैट स्वर्ण नगरी ग्रेटर नोएडा।

2–सचिन निवासी भराना थाना सिकंदराबाद जनपद बुलन्दशहर।

3–सुमित निवासी ग्राम बिरोंडा थाना बीटा–2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लूट के 07 लाख 84 हजार 600 रूपये नगद।

2–चोरी की 01 कार।

3–02 अवैध शस्त्र मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना विजयनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के माल बिक्री के 07 हजार 800 रूपये नगद**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 09.10.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डीपीएस सर्विस रोड पर अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार

बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—नोनू उर्फ चेतन्य घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—दीपक सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के माल बिक्री के 07 हजार 800 रूपये नगद, लूट के 02 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नोनू उर्फ चेतन्य के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग एवं अभियुक्त दीपक के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में लूट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन, मोटर साइकिल आदि लूट/चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—नोनू उर्फ चेतन्य निवासी छपरौला थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2—दीपक निवासी रेलवे इन्क्लेव थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के माल बिक्री के 07 हजार 800 रूपये नगद।

2—लूट के 02 मोबाइल फोन।

3—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विभूतिखण्ड

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 87 हजार 400 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने का 100 ग्राम का बिस्किट एवं सोने के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 09.10.2024 को थाना विभूतिखण्ड व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिनेपालिस मॉल के पास से 02 अभियुक्तों 1–मिन्टू 2–रामभरोसे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 87 हजार 400 रूपये नगद, चोरी के सोने का 100 ग्राम का बिस्किट एवं सोने के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.08.2024 को थाना विभूतिखण्ड क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अलीगढ़, कमिश्नरेट लखनऊ व दिल्ली, राजस्थान एवं कर्नाटक प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 12 अभियोग एवं अभियुक्त रामभरोसे के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ व जनपद सम्भल के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मिन्टू निवासी जे जे बस्ती, ख्याला तिलकनगर पश्चिमी दिल्ली।

2–रामभरोसे निवासी ग्राम अकरौली थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–चोरी के 87 हजार 400 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने का 100 ग्राम का बिस्किट एवं सोने के आभूषण आदि।

जनपद फतेहगढ़/थाना जहानगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 09.10.2024 को थाना जहानगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बर्ना खुर्द के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–उवैश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–उमर मोहम्मद 3–कौशर अली 4–धर्मेन्द्र 5–कप्तान 6–गोविन्द सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना जहानगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उवैश निवासी ग्राम नंगलिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर।
2–उमर मोहम्मद निवासी ग्राम दाबलपुर थाना कांठ जनपद शाहजहाँपुर।
3–कौशर अली निवासी ग्राम ठिरिया निजामत खां थाना कैंट जनपद बरेली।
4–धर्मेन्द्र निवासी मुरहास पट्टी खुर्द थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
5–कप्तान निवासी मुरहास पट्टी खुर्द थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
6–गोविन्द निवासी मुरहास पट्टी खुर्द थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

- **जनपद औरैया/थाना ऐरवाकटरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना ऐरवाकटरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/452 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अजय कुमार को आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–थाना कोतवाली जनपद कन्नौज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 446/2023 धारा 395/412 भादवि में वांछित घूमन्तु जनजाति गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी नासिर खान गिरफ्तार।

दिनांक 10–10–2024 को थाना कोतवाली, जनपद कन्नौज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 446/2023 धारा 395/412 भादवि में वांछित घूमन्तु जनजाति गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी नासिर खान को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

1– नासिर खान पुत्र स्व गुडडू उर्फ सलीम वक्स केयर ऑफ सूरज पारदी, निवासी सेवडा, थाना सुभाषपुरा, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश उम्र लगभग 37 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–

रामपुर खदान, थाना पनिहार, जनपद ग्वालियर। दिनांक 10.10.2024, समय करीब 08:40 बजे ।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, कानपुर के निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह एव उ0नि0 राहुल परमार द्वारा संगठित एवं पुरूस्कार घोषित अपराधियो के विरूद्ध विभिन्न माध्यमों से सूचना संकलित की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के क्रम में मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जनपद कन्नौज में डकैती की घटना कारित करने वाला 1,00,0,00/ रूपये का पुरूस्कार घोषित अपराधी ग्वालियर में पत्थर की खदान में काम करता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर, एसटीएफ फील्ड इकाई कानपुर के उ0नि0 राहुल परमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर ग्वालियर के लिये रवाना होकर थाना पनिहार, ग्वालियर पहुंचकर मुखबिर से प्राप्त सूचना को विकसित कर दिनांक

10.10.2024 को समय 08:45 बजे रामपुर खदान से मुखबिर की निशादेही पर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त नासिर ने पूछताँछ पर बताया कि वह सूरज के यहॉ पर पिछले 15 वर्षो से ट्रैक्टर चलाने एवं घरेलू कार्यो को करने का काम करता है, इसका पालन पोषण सूरज के यहॉ ही हुआ था। इसके पिता की मृत्यु 25 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इसकी दो छोटी बहिने व एक छोटा भाई है। वर्ष 2023 में सूरज ने इससे कहा था कि कन्नौज में एक बडे व्यापारी के यहां पर चोरी करनी है उसका मैने इतंजाम कर दिया है। अगर इस काम को कर लोगे तो तुम्हारी बहनों की शादी हो जायेगी और आगे भी काम बतायेगा। सूरज इसको अपने परिवार के बेटे की तरह मानता था। इस लिये यह उनके बताये काम को मना नही कर पाया, इसी लालच में आकर इसने कन्नौज की घटना को अन्जाम दिया था और घटना कारित करने के उपरान्त यह वापस अपने घर चला गया था। सूरज ने नासिर से बहनों की शादी में खर्च करने को बताकर चोरी किये गये सामान का हिस्सा उसने अपने पास रख लिया था। कुछ समय पश्चात पता चला कि कन्नौज की घटना में इसका नाम भी मुकदमें में आ गया है, जिससे यह पुलिस से बच कर रहने लगा। सूरज के पकडे जाने के उपरान्त यह भी पुलिस से बचने के लिये ग्वालियर में अलग अलग जगह रहकर मजदूरी का काम करने लगा था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कोतवाली कन्नौज के 446/2023 धारा 395/412 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————